



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273551
CG-DL-E-18062026-273551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3027]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3027]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3148(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 के कि.मी 472.000 किमी से 505.000 तक उत्तर प्रदेश राज्य में महाराजगंज बाईपास सहित पेव्ड शोल्डर के साथ चार लेन में चौड़ीकरण उच्चीकरण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में महाराजगंज बाईपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-730 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप-भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.), महाराजगंज	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH730 के कि.मी 472 से कि.मी 505 तक	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	सदर महाराजगंज	1 रामपुर 2 रूधौली भावचक

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-730/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3148(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for widening/up-gradation to 4 laning with paved shoulders of km. 472.000 to 505.000 of NH-730 including Maharajganj bypass in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH730 including Maharajganj Bypass in the State of Uttar Pradesh.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	DLAO, (S.S) , Maharajganj	NH730 KM 472 TO KM 505	UTTAR PRADESH	MAHARAJGANJ	Sadar Maharajganj	1 Rampur 2 Rodhauli Bhawachak

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-730/2025-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director